महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

प्रबन्ध बोर्ड की 63वीं बैठक

कार्यवृत्त (Minutes)

दिनांक : 11.06.2008 **समय : प्रातः 11.00 बजे**

प्रबन्ध बोर्ड की 63वीं बैठक दिनांक 11 जून, 2008 को प्रातः 11.00 बजे बृहस्पति भवन स्थित प्रबन्ध बोर्ड बैठक कक्ष में आयोजित हुई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :-

1	प्रोफेसर भगीरथ सिंह, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रोफेसर बी.पी. सारस्वत, अजमेर (कुलपति द्वारा नाम निर्देशित आचार्य)	सदस्य
3.	प्रोफेसर सुरेन्द्र उपाध्याय, जयपुर (कुलाधिपति द्वारा नाम निर्देशित शिक्षाविद्)	सदस्य
4.	डॉ. कैलाश चन्द शर्मा, जयपुर (राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित शिक्षाविद्)	सदस्य
5.	श्री सुभाष बहेड़िया, विधायक भीलवाड़ा, (विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित)	सदस्य
6.	श्री भागीरथ चौधरी, विधायक किशनगढ़ (विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित)	सदस्य
7.	डॉ. ओ.पी. गुप्ता, विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा (शासन सचिव, शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि)	सदस्य
8.	श्री के. सी.टेलर, अजमेर, (शासन सचिव, वित्त विभाग के प्रतिनिधि)	सदस्य
9.	श्री एन.के. शर्मा, कुलसचिव	सदस्य सचिव
	श्री दयाल चन्द, वित्त नियंत्रक	विशेष आमंत्रित

<u>अनुपस्थित सदस्य</u>

1.	आयुक्त, महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान, जयपुर	सदस्य
2.	शासन सचिव, योजना विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर	सदस्य

बैठक की विधिवत् कार्यवाही आरम्भ होने से पूर्व कुलाधिपति महोदय के प्रतिनिधि ने नए कुलपति प्रोफेसर भगीरथ सिंह का स्वागत किया और आशा की, कि उनके नेतृत्व में विश्वविद्यालय उत्तरोत्तर प्रगति करेगा।

माननीय कुलपति महोदय ने सदस्यों को आश्वस्त किया कि वे विश्वविद्यालय के अधिनियम, परिनियम, अध्यादेश, विनियम एवं नियमों के अनुसार कार्य करेंगे। सभी निर्णय सक्षम प्राधिकरणों के सामूहिक विचार-विमर्श के अनुसार ही हों, इसका वे पूरा प्रयास करेंगे। यदि किसी नियम में किसी संशोधन की कोई आवश्यकता होगी तो उसके औचित्य को स्पष्ट करते हुए सक्षम प्राधिकार से उसमें प्रावधान कराएँगे, जिससे कि विश्वविद्यालय का

कार्य सुचारु रूप से चले। उन्होंने बोर्ड को सहर्ष अवगत कराया कि इस वर्ष भी विश्वविद्यालय बी.ए., बी.एस.सी. बी.कॉम. के परीक्षा परिणाम जहाँ निर्धारित दिनांक से पहले घोषित किए गए हैं, वहीं प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों से भी परीक्षा परिणााम पहले घोषित करने में सफल रहा है।

कुलपति महोदय ने यह भी अवगत कराया कि अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा बुलाई गई बैठक में ज्ञान आयोग के सदस्य ने इस विश्वविद्यालय द्वारा ज्ञान आयोग अपेक्षाओं के सम्बन्ध में दिए गए प्रज़ैन्टेशन को प्रोत्साहन दिया और विश्वविद्यालय के प्रयासों की सराहना की।

बोर्ड ने उक्त सूचनाओं को सहर्ष अभिलिखित किया।

बोर्ड ने सर्वसम्मति से प्रोफेसर मोहनलाल छीपा, पूर्व कुलपति के प्रति आभार प्रकट करते हुए यह अभिलिखित किया कि पूर्व कुलपति के रूप में उन्होंने जो नेतृत्व प्रदान किया एवं उनके रचनात्मक कार्यों से विश्वविद्यालय को जो गौरव और गरिमा प्राप्त हुई है वह प्रशंसनीय है और बोर्ड उनकी सेवाओं की प्रशंसा करता है।

बोर्ड के निवर्तमान सदस्य प्रो. के.सी. शर्मा द्वारा सदस्य के रूप में दी गई सेवाओं के प्रति भी बोर्ड ने आभार व्यक्त किया।

बैठक की कार्यसूची पर विचार-विमर्श आरम्भ होने से पूर्व माननीय कुलपति महोदय ने प्रस्ताव किया कि बोर्ड की बैठक में सदस्यों को राशि रू.200/- *'सिटिंग चार्जेज़'* के रूप में दिया जाने चाहिए। कुलपति महोदय के इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।

मद संख्या	विवरण	संबंधित अनुभाग
मद सं. 1	प्रबन्ध बोर्ड की 61वीं बैठक दिनांक 08.05.2007 एवं 07.06.2007 के कार्यवृत्त (Minutes) की पुष्टि करना, उक्त कार्यवृत्त की एक प्रति सभी माननीय सदस्यों को इस कार्यालय के पत्र क्र.एफ.13(61)शैक्ष.।/मदसविवि/2007/6476-86 दिनांक 02.06.2007 एवं समसंख्यक पत्र क्र. 8785-98 दिनांक 19.6.2007 द्वारा प्रेषित की गई।	**शैक्षणिक**
निर्णय	**प्रबन्ध बोर्ड की 61वीं बैठक दिनांक 8 मई, 2007 एवं 7 जून, 2007 के कार्यवृत्त की पुष्टि की।**	
मद सं. 2	प्रबन्ध बोर्ड की 62वीं बैठक दिनांक 24.09.2007 के कार्यवृत्त (Minutes) की पुष्टि करना। कार्यवृत्त संलग्न है। **(कार्यसूची का परिशिष्ट - 1)**	**शैक्षणिक**
निर्णय	**प्रबन्ध बोर्ड की 62वीं बैठक दिनांक 24 सितम्बर, 2007 के कार्यवृत्त की पुष्टि की।**	
मद सं. 3	दिनांक 8.5.2007 एवं 7.6.2007 को संपन्न प्रबन्ध बोर्ड की 61वीं तथा 24.9.2007 को संपन्न 62वीं बैठक के कार्यवृत्त पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट (Action Taken Report) का अवलोकन कर अनुमोदन करना।	**शैक्षणिक**
निर्णय	**दिनांक 8 मई, 2007 एवं 7 जून, 2007 को सम्पन्न प्रबन्ध बोर्ड की बैठक के कार्यवृत्त पर बिन्दुवार प्रस्तुत की गई अनुपालना रिपोर्ट का अनुमोदन अग्रांकित प्रेक्षणों के साथ किया गया :- अनुपालना रिपोर्ट में प्रबन्ध बोर्ड के अनेक निर्णयों की अनुपालना यह दर्शाते हुए की गई कि - *'समिति की बैठक नहीं हुई',***	

'कार्यवाही शेष है', निर्णयों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई', आदि ऐसे प्रतिवेदन को बोर्ड ने गम्भीरता से लेते हुए निर्णय किया कि इन निर्णयों की अनुपालना प्रबन्ध बोर्ड की आगामी बैठक में अवश्य प्रस्तुत की जाए, किन्तु, समितियों की बैठक नहीं कराने और निर्णयों की अनुपालना नहीं कराने के लिए समिति के सदस्य सचिव एवं सम्बन्धित अधिकारियों को चेतावनी दी जाएगी। यदि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति हुई तो आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

<u>निर्णय सं.4 - संस्तुति सं.2 पर प्रेक्षण :</u>

वाहन चालकों के निर्धारित समय के समय के बाद विश्वविद्यालय कार्य से वाहन चालक की ड्यूटी देने की एवज़ में रू.20/- प्रति घण्टा अधिकतम राशि रू.100/- प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त कार्यभत्ता दे दिया जाए, किन्तु, इसके लिए उन्हें अन्य किसी प्रकार का भत्ता एवं क्षतिपूर्ति अवकाश देय नहीं होगा। — सामान्य प्रशासन

<u>निर्णय सं.8 पर प्रेक्षण :</u>

परियोजना एवं परीनिरीक्षण बोर्ड की दिनांक 31.1.2007 के निर्णयों की अविलम्ब पालना सुनिश्चित की जाए। — सीडीसी

<u>निर्णय सं.11 (4) पर प्रेक्षण :</u>

राजस्थान विश्वविद्यालय शिक्षक एवं अधिकारी (नियुक्ति हेतु चयन) अधिनियम 1974 में सेवानिवृत्ति से पूर्व एक्स कैडर पदोन्नति दिए जाने का प्रावधान प्रभावी नहीं होने के कारण यह माँग स्वीकार नहीं की जा सकती। — संस्थापन

<u>निर्णय सं.11(5) पर प्रेक्षण :</u>

राज्य सरकार के प्रावधानों को देखकर और प्रबन्ध बोर्ड के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए विचारों को ध्यान में रखकर जोखिम निधि का गठन करने का प्रस्ताव माननीय कुलपति के अनुमोदनार्थ वित्त नियन्त्रक अविलम्ब प्रस्तुत करें। — वित्त नियन्त्रक

<u>निर्णय सं.15 पर प्रेक्षण :</u>

डॉ. निमित्त रंजन चौधरी द्वारा शंघाई विश्वविद्यालय, चीन की प्रैस से प्रकाशित की गई पुस्तक को बोर्ड ने विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में रखने का निर्णय किया गया। — संस्थापन

<u>निर्णय सं.19 पर प्रेक्षण :</u>

उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय केन्द्र को मैचिंग ग्राण्ट के रूप में विक्रमादित्य भवन का प्रथम तल मय छत एवं गार्गी महिला छात्रावास में 8 कक्षों का आवण्टन का पत्र कुलसचिव जारी करें। गार्गी महिला छात्रावास में आवण्टित 8 कक्षों को केन्द्र के विद्यार्थियों को प्रथम वरीयता देय होगी। — कुलसचिव

<u>निर्णय सं.20 पर प्रेक्षण :</u>

अनुपालना रिपोर्ट के परिशिष्ठ 'च' में प्रस्तावित निम्नांकित पदों के सृजन की स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को परिशिष्ठ 'च' का प्रस्ताव भिजवाने का अनुमोदन किया : — संस्थापन

निदेशक	1	16400-450-22400

उप-निदेशक	**1**	**12400-420-18300**
प्रोफेसर	**1**	**16400-450-22400**
एसोसिएट प्रोफेसर	**1**	**12400-420-18300**
सहायक प्रोफसर	**2**	**8000-275-13500**
प्रोजेक्ट ऑफिसर/फैलो/रिसर्च फैलो	**2**	**स्थिर वेतन 12000**

<u>निर्णय सं.32 पर प्रेक्षण :</u>

संस्थापन

डॉ. सतीश अग्रवाल के सम्बन्ध में ऑडिट पैरा को ड्रॉप कराने हेतु उपशासन सचिव शिक्षा ग्रुप-4 विभाग को प्रेषित पत्र क्र.11129 दिनांक 30.6.2007 की प्रति एवं राज्य सरकार से प्राप्त उत्तर की प्रति कुलसचिव ने बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की। निर्णय किया कि डॉ. अग्रवाल इस विश्वविद्यालय में नियुक्ति के समय विज्ञापित योग्यता पूरी करते थे अथवा नहीं और क्या प्रबन्ध बोर्ड ने विज्ञापित योग्यता में कोई शिथिलता प्रदान की है ? इसका परीक्षण करने हेतु निम्नांकित सदस्यों की एक समिति का गठन किया जाता है :

1. **बोर्ड पर कुलाधिपति द्वारा नामित शिक्षाविद् - संयोजक**
2. **बोर्ड पर राज्य सरकार द्वारा नामित शिक्षाविद्**
3. **विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा, ग्रुप-4 विभाग**
4. **वित्त नियन्त्रक, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर**
5. **कुलसचिव, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर - सदस्य सचिव**

मद सं. 4 कुलपति महोदय के निम्नांकित प्रतिवेदित आदेशों का अभिलेखन एवं पुष्टि करना : **विवले**

निर्णय **माननीय कुलपति महोदय के निम्नांकित प्रतिवेदित आदेशों का अभिलेखन एवं पुष्टि निम्न प्रेक्षणों के साथ की गई :**

(1) <u>प्रतिवेदन है कि</u>, राजस्थान सरकार के वित्त विभाग (रूल्स डिवीज़न) के आदेश क्र.एफ.7(1)एफ.डी.(रूल्स)/98 जयपुर दिनांक 16.01.2007 के अनुरूप ही विश्वविद्यालय कर्मचारियों को वेतन पर देय महंगाई भत्ते के लिए Basic Pay + Dearness Pay की समेकित राशि पर प्रचलित दर 29ः से 6ः की वृद्धि कर दिनांक 01.01.2007 से 35ः किये जाने के माननीय कुलपति महोदय के आदेश की पालना में कार्यालय आदेश क्र.एफ. 6(4)विवले/मदसवि/2007/Vol-II/17378 दिनांक 23.08.2007 जारी किया गया है **(परिशिष्ठ - 2)** **विवले**

पुष्टि की गई।

(2) <u>प्रतिवेदन है कि</u>, राजस्थान सरकार के वित्त विभाग (रूल्स डिवीज़न) के आदेश क्र.एफ.13(1)एफ.डी.(रूल्स)/98 जयपुर दिनांक 25.02.2008 के अनुरूप ही विश्वविद्यालय कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते के लिए Basic Pay + Dearness Pay की समेकित राशि पर प्रचलित दर 35ः में वृद्धि कर 01.07.2007 से 41ः किये जाने के सम्बन्ध में माननीय कुलपति महोदय के आदेश की पालना में कार्यालय आदेश क्र.एफ.6(41)विवले/ मदसवि/2007/Vol-II/4962 29.02.08 जारी किया गया है **(परिशिष्ठ-3)** **विवले**

पुष्टि की गई।

(3) <u>प्रतिवेदन है कि</u>, राजस्थान सरकार के वित्त विभाग (रूल्स डिवीज़न) के आदेश क्र.एफ.13(1)एफ.डी.(रूल्स)/2005 जयपुर दिनांक 16.08.2007 के अनुरूप ही विश्वविद्यालय पेंशनर्स को पेंशन पर देय महंगाई राहत के लिए **विवले**

29: में वृद्धि कर दिनांक 01.01.2007 से 35: किये जाने के माननीय कुलपति महोदय के आदेश की पालना में कार्यालय आदेश क्र.एफ.6 (41) विवले/मदसवि/2006/Pension/Vol-II/2007/3179 दिनांक 15.10.2007 जारी किया गया है **(परिशिष्ठ - 4)**

पुष्टि की गई।

(4) प्रतिवेदन है कि, राजस्थान सरकार के वित्त विभाग (रूल्स डिवीज़न) के आदेश क्र.एफ.13(1)एफ.डी.(रूल्स)/2005 जयपुर दिनांक 25.02.2008 के अनुरूप ही विश्वविद्यालय पेंशनर्स को पेंशन पर देय महंगाई राहत के लिए Basic Pension + Dearness Pension की समेकित राशि पर प्रचलित दर 35: में वृद्धि कर दिनांक 01.07.2007 से 41: किये जाने के माननीय कुलपति महोदय के आदेश की पालना में कार्यालय आदेश क्र.एफ. 6(41)विवले/मदसवि/2006/पेंशन/Vol-II/2007/5064 दि.29.02.2008 जारी किया गया है **(परिशिष्ठ - 5)** **विवले**

पुष्टि की गई।

(5) प्रतिवेदन है कि, माननीय कुलपति महोदय के आदेशों की पालना में विश्वविद्यालय के यात्रा भत्ता नियम, 1998 के बिन्दु सं.4 में निम्नानुसार संशोधन किया है : **विवले**

Existing	**Amended**
4(a) T.A. Claim not submitted within six months of the completion of each journey will become time barred & will require sanction of the Vice Chancellor for making it admissible upto a period of one year.	4(a) T.A. Claim not submitted within one year of the completion of each journey will become time barred & will require sanction of the Vice Chancellor for making it admissible upto a period of one and half year.

पुष्टि की गई।

(6) प्रतिवेदन है कि, प्रबन्ध बोर्ड की निर्णय संख्या 16(3) दिनांक 26.6.2006 के क्रम में सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए दिनांक 1.11.2001 से चिकित्सा सुविधा योजना प्रवृत्त किए जाने हेतु प्रक्रिया एवं नियम प्रस्तावित करने हेतु कुलपति महोदय के आदेशानुसार गठित समिति की दिनांक 26.3.2007 को सम्पन्न हुई बैठक की संस्तुतियों को, कुलपति महोदय ने आदेश दिनांक 29.3.2007 द्वारा स्वीकृति प्रदान की है। **विवले**

पुष्टि की गई।

(7) प्रतिवेदन है कि, माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार पाठ्यक्रम समन्वयक, विवेकानन्द योग अनुसंधान संस्थान, एकनाथ भवन, 19, गावीपुरम सर्किल, के. जी. नगर, बैंगलोर पत्र क्रमांक एफ.1 ( )संस्था/मदसवि/ 2007/2360 दिनांक 17.7.2007 द्वारा विश्वविद्यालय के योग विज्ञान और मानव संचेतना विभाग के छात्रों, विश्वविद्यालय शिक्षकों एवं अन्य को योग प्रशिक्षण पूर्ववत् दिए जाने हेतु दिनांक 13.6.2007 से 10 वर्ष की अवधि के लिए की गई संविदा का अनुमोदन किया है **(कार्यसूची का परिशिष्ठ - 6)** **संस्थापन**

कार्यसूची के परिशिष्ठ 6 पर प्रस्तुत इकरारनामे के क्रमांक (2) में पूर्व इकरारनामे

से अलग लिखी गई शर्तों पर पुनर्विचार किया जाए एवं तब तक पूर्व इकरारनामा ही प्रभावशील रखा जाए।

(8) <u>प्रतिवेदन है कि,</u> न्यायालय तहसीलदार अजमेर के पत्र क्रमांक 1031 दिनांक 17.04.2007 के अन्तर्गत अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं पदेन उप शासन सचिव (श्रम) राजस्थान, जयपुर के वसूली वारण्ट प्रकरण संख्या एल.सी.आर. 77/2007 विजयपाल कुमावत बनाम कुलसचिव, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के अन्तर्गत धारा 256 व 257 भू अधिनियम, 1956 में बाकीदार कुलसचिव, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर के माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में लम्बित डी.बी. स्पेशल अपील संख्या 207/06 के निर्णय होने की अवधि तक Under Protest रू.1,37,935/- तथा ब्याज राशि रू.19,012/- जोड़कर कुल रू.1,56,947/- की एकवर्षीय सावधि जमा (एफ.डी.आर.) अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं पदेन उप शासन सचिव (श्रम) राजस्थान, जयपुर के पक्ष में बनाए जाने की स्वीकृति माननीय कुलपति के आदेश दिनांक 7.5.2007 द्वारा दी गई। **विधि**

पुष्टि की गई।

(9) <u>प्रतिवेदन है कि,</u> वित्तीय वर्ष 2007-08 में आयोजना भिन्न मद की बजट निर्णायक समिति की दिनांक 30.11.2006 के बिन्दु सं.6 व 7 एवं राज्य सरकार के पत्र क्र.प.14(20)शिक्षा-4/2007 दिनांक 8.8.2007 एवं पत्र दिनांक 24.3.2008 के क्रम में कुलपति महोदय के आदेशानुसार कार्यालय आदेश क्र.एफ.1( )मदसवि/ 2008/2781 दिनांक 28.3.2008 द्वारा निम्नांकित पद समाप्त (abolish) कर दिए गए हैं : **संस्थापन**

1. उपकुलसचिव - 2 पद
2. अनुभाग अधिकारी - 2 पद
3. कार्यालय सहायक - 1 पद
4. कनिष्ठ लिपिक - 8 पद

पुष्टि की गई।

(10) <u>प्रतिवेदन है कि,</u> वित्तीय वर्ष 2007-08 में आयोजना भिन्न मद की बजट निर्णायक समिति की दिनांक 30.11.2006 के बिन्दु सं.7 एवं प्रबन्ध मण्डल की निर्णय संख्या 34 दिनांक 7.6.2007 की अनुपालना में निम्नांकित पदों को समाप्त (इवसपी) करके उनके समक्ष निम्नांकित पद आन्तरिक अंकेक्षण एवं वित्त एवं लेखा का सम्पूर्ण कार्य करने हेतु माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार सृजित किए गए हैं : **(कार्यसूची का परिशिष्ट - 7)** **संस्थापन**

समाप्त घोषित पद	**पदों की संख्या**	**आन्तरिक अंकेक्षण हेतु सृजित पद**	**पदों की संख्या**	**कार्यालय आदेश**
उपकुलसचिव 10000-15200	01	लेखाधिकारी 8000-13500	01	एफ.1()संस्था/मदसवि/ 2008/ 2794 दिनांक 28.03.2008
सुरक्षा अधिकारी 6500-10500	01	सहायक लेखाधिकारी 6500-10500	01	एफ.1()संस्था/मदसवि/ 2007/ 8278 दिनांक 14.06.2007
स्टेनो ग्रेड - I 5500-9000	01	लेखाकार 5500-9000	01	एफ.1()संस्था/2007/ 8278 दि.14.06.2007
डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	01	-	-	एफ.1()संस्था/मदसवि/ 2007/ 8278 दिनांक

				14.06.2007

(11) <u>प्रतिवेदन है कि</u>, माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार निम्नांकित तीन कार्यालय आदेशों के माध्यम से अनुभागाधिकारी स्तर तक के कर्मचारियों को विश्वविद्यालय के बजट, वित्तीय एवं लेखा नियम 1997 के नियम 138. 3.प के अनुसार देय अनाज अग्रिम की राशि में वृद्धि की गई है। **विवले**

कार्यालय आदेश	राशि
एफ.6()मदसवि/विवले-II/अ.अ./2002-3/ 3465 दिनांक 27.04.02	रू0 3000 से 5000
एफ.6()मदसवि/विवले-II/अ.अ./2007-8/ दिनांक 23.04.07	रू0 5000 से 7000
एफ.6()मदसवि/विवले-II/अ.अ./2008-9/ 16162-20 दिनांक 21.04.08	रू0 7000 से 10000

पुष्टि की गई।

(12) <u>प्रतिवेदन है कि</u> माननीय कुलपति महोदय के आदेश दि.13.11.2007 के अनुसार वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्र.एफ.1(65) एफ.डी. (रूल्स)/86-पार्ट-III दिनांक 5.11.2007 के अनुरूप विश्वविद्यालय कर्मचारियों को उक्त आदेश के शर्ताधीन वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिये प्रदत्त बोनस के भुगतान की स्वीकृति कार्यालय आदेश क्र.एफ.56( ) विवले-III/ मदसविवि/ 07/ 27084 दिनांक 14.11.2007 जारी किया गया है। **(परिशिष्ट-24)** **विवले**

पुष्टि की गई।

(13)<u>प्रतिवेदन है कि</u> विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 19(4) में प्रवृत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए वित्तीय वर्ष 2008-09 के अप्रेल, मई एवं जून 2008 हेतु लेखानुदान (बजट ऑन अकाउण्ट) स्वीकार किया है। तद्नुसार कार्यालय आदेश क्र.एफ.( )विवले/बजट/मदसवि/08/ 5595 दिनांक 31.3.2008 जारी किया गया है। **(परिशिष्ट-25)** **विवले**

पुष्टि की गई।

(14) <u>प्रतिवेदन है कि</u> डॉ. मोनिका भटनागर को सहायक आचार्य वरिष्ठ वेतनमान त्रुटिवश दिनांक 8.11.2002 से दिये जाने के कार्यालय आदेश क्रमांकः 2115-34 दिनांक 8.05.2007 में आंशिक संशोधन कर उक्त वेतनमान दिनांक 8.11.2001 से दिये जाने के माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार कार्यालय आदेश क्र.एफ.1 (16) संस्था/मदसविवि/2008/ 25597-634 दिनांक 21.05.08 जारी किया गया। **संस्थापन**

पुष्टि की गई।

(15) <u>प्रतिवेदन है कि</u> डॉ. आशीष पारीक एवं डॉ. श्रीमति दीपिका उपाध्याय को सहायक आचार्य वरिष्ठ वेतनमान त्रुटिवश दिनांक 9.11.2003 से दिये जाने के कार्यालय आदेश क्रमांकः 2115-34 दिनांक 8.05.2007 में **संस्थापन**

आंशिक संशोधन कर उक्त वेतनमान दिनांक 10.11.2004 से दिये जाने के माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार कार्यालय आदेश क्रःएफ.1 ( )संस्था/मदसविवि/2007/19799-838 दिनांक 26.09.07 जारी किया।

पुष्टि की गई।

मद सं. 5 विश्वविद्यालय के शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अन्य संस्थाओं में नियुक्ति/शोध छात्रवृत्ति एंव शोध अध्येतावृत्ति के लिए आवेदनपत्र अग्रेषित करने के नियम निर्धारित करना। **(कार्यसूची का परिशिष्ठ -8)** **संस्थापन**

निर्णय **कार्यसूची के परिशिष्ठ 6 में प्रस्तावित नियमों का अनुमोदन किया।**

मद सं. 6 प्रबन्ध बोर्ड की निर्णय संख्या 4(1) सपठित निर्णय संख्या 11(2) दिनांक 8.5.2007 की अनुपालना में कुलपति महोदय द्वारा गठित विशेषज्ञों की समिति की संस्तुतियों पर विचार कर निर्णय करना। समिति की संस्तुतियाँ पटल पर प्रस्तुत की जाएँगी। **(कार्यसूची का परिशिष्ठ -9)** **संस्थापन**

निर्णय **विश्वविद्यालय के अधिकारियों के लिए पदोन्नति एवं वरिष्ठ वेतनमान / चयनित वेतनमान दिए जाने के सम्बन्ध में नियम प्रस्तावित करने हेतु गठित समिति के निर्णय संख्या 1 (1 से 11) को स्वीकार किया एवं निर्णय किया कि इन्हें अनुमोदन हेतु राज्य सरकार को भेजा जाए और वहाँ से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद ही इसे लागू किया जाए।**

मद सं. 7 प्रबन्ध बोर्ड की निर्णय संख्या 14 दिनांक 26.6.2006 की अनुपालना में डॉ. एन. एम. खण्डेलवाल को जारी कारण बताओ नोटिस क्र.एफ. ( ) पीए/कुलसचिव/ मदसवि/2006/1445 दिनांक 5.10.2006 के उत्तर में प्राप्त प्रत्युत्तर पर निम्नांकित दस्तावेज़ों के साथ विचार कर निर्णय करना : **संस्थापन**

1. कार्यालय आदेश क्र.एफ.1( )संस्था/मदसवि/2002/6864 दिनांक 12.9.2002 के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 24.10.2002 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त की प्रति। **(कार्यसूची का परिशिष्ठ - 10)**
2. डॉ. खण्डेलवाल को ज्ञापन क्र.एफ.1( )संस्था/मदसवि/2002/ 285 दिनांक 24.10.2002 के अन्तर्गत प्रस्तुत आरोप-पत्र की प्रति। **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-11)**
3. जाँच अधिकारी के नियुक्ति के आदेश क्र.एफ.1( )संस्था/मदसवि/2002/ 349-57 दिनांक 26.12.2002 की प्रति। **(कार्यसूची का परिशिष्ठ - 12)**
4. जाँच अधिकारी द्वारा दिनांक 22.3.2003 को प्रस्तुत जाँच प्रतिवेदन की प्रति। **(कार्यसूची का परिशिष्ठ - 13)**
5. जाँच प्रतिवेदन के निष्कर्षों पर राजस्थान के महाधिवक्ता श्री बी.पी. अग्रवाल से विधिक परामर्श हेतु किए गए निवेदन क्र.एफ.1( ) संस्था/मदसवि/2006/ 1075 दिनांक 18.3.2006 की प्रति। **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-14)**
6. महाधिवक्ता, राजस्थान द्वारा पत्र क्र.एजी/पीएस/फीस/लीगल/ओपिनियन/ 2006 दिनांक 20.6.2006 के अन्तर्गत प्रदत्त विधिक परामर्श की प्रति। **(कार्यसूची का परिशिष्ठ - 15)**
7. बोर्ड की निर्णय सं.14 दिक 26.6.2006 की अनुपालना में डॉ.एन.एम. खण्डेलवाल को दिए गए कारण बताओ नोटिस क्र.एफ.()कुलसचिव/मदसवि/ 2006/1445 दि.5.10.2006 की प्रति। **(कार्यसूची का परिशिष्ठ - 16)**

उक्त कारण बताओ नोटिस के उत्तर में डॉ. खण्डेलवाल द्वारा दिए गए प्रत्युत्तर की प्रति। **(कार्यसूची का परिशिष्ठ - 17)**

निर्णय **आगामी बैठक में विचार हेतु स्थगित किया।**

मद सं. 8 प्रो. आर.पी. जोशी के पत्र दिनांक 16.8.2005 **(परिशिष्ठ - 18)** और उस पत्र के संदर्भ में विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों **(परिशिष्ठ - 19)** से प्रो. जोशी को अवगत कराए जाने पर, प्रो. जोशी द्वारा पुनः पत्र दिनांक 10.2.2006 **(परिशिष्ठ - 20)** में जो बिन्दु उठाए गए, उनकी समीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों के आधार पर करने हेतु गठित समिति की दिनांक 29.7.2006 को सम्पन्न बैठक की अनुशंषाओं **(परिशिष्ठ - 21)** पर विचार करना। **संस्थापन**

निर्णय **कार्यसूची के परिशिष्ठ 21 पर प्रस्तुत समिति की संस्तुतियों पर विचार कर निर्णय किया कि प्रो. आर.पी. जोशी को अध्यादेश 358(32) में स्वीकृत किए गए अवैतनिक अवकाश की अवधि में रोकी गई वेतन वृद्धि का लाभ दे दिया जाए किन्तु इस लाभ से बनने वाले एरियर का भुगतान उन्हें देय नहीं होगा। यह भी निर्णय किया कि प्रो. जोशी को सेवानिवृत्त परिलाभ की गणना करते समय इस अवैतनिक अवकाश की गणना सेवा में व्यवधान के रूप में मान्य नहीं होगी।**

मद सं. 9 विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स बोर्ड में वर्ष 2007-08 हेतु प्रबन्ध बोर्ड के दो सदस्यों की नियुक्ति करना। **खेलकूद बोर्ड**

निर्णय **विश्वविद्यालय के खेलकूद बोर्ड में प्रबन्ध बोर्ड के दो सदस्यों की प्रतिवर्ष नियुक्ति करने के लिए कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।**

मद सं. 10 समिति की बैठक के कार्यवृत्त **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-22)** दिनांक 26.03.2008 को सम्पन्न विश्वविद्यालय की 24वीं वित्त पर विचार करना। **विवले**

निर्णय **वित्त समिति की 24वीं बैठक दिनांक 26.3.2008 के कार्यवृत्त को निम्नांकित प्रेक्षणों के साथ अनुमोदित किया :**

<u>संस्तुति सं.2 पर प्रेक्षण</u> :

विश्वविद्यालय में लेखाधिकारी का पदस्थापन हो चुका है, अतः सेवानिवृत्त लेखाधिकारी नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है।

<u>संस्तुति सं.3 पर प्रेक्षण</u> :

रिमोट सैंसिंग एवं जियो इन्फॉर्मेटिक्स विभाग के लिए प्रस्तावित प्रावधान राशि रू.50.00 लाख को अस्वीकार किया। मैडिकल एवं सर्जिकल कैम्प के लिए बजट प्रावधान करने और राशि रू.30.00 लाख का आवण्टन करने के प्रस्ताव को अस्वीकार किया गया। निर्णय किया कि, इस राशि से विश्वविद्यालय में प्रस्तावित हैल्थ सैण्टर का संचालन किया जाए। निर्माण के अन्य कार्यों के सम्बन्ध में प्रस्तावित बजट प्रावधानों को भवन निर्माण समिति की संस्तुतियों में इन कार्यों के लिए प्रस्तावित बजट प्रावधानों के आधार पर संशोधन किया जाए।

<u>संस्तुति सं.3(क) पर प्रेक्षण</u> :

विश्वविद्यालय के अधिनियम की धारा 36(3) के प्रावधानानुसार वर्ष 2004-05, 2005-06, 2006-07 के वार्षिक लेखे और तुलनपत्रों की संपरीक्षा कराना वित्त नियन्त्रक सुनिश्चित करें।

संस्तुति सं.3(ख एवं ग) पर प्रेक्षण :

इन संस्तुतियों में वर्णित प्रकरणों के सम्बन्ध में भवन निर्माण समिति द्वारा की गई संस्तुतियों के अनुसार कार्यवाही की जाए।

संस्तुति सं.6 (1, 2, 3, 4) पर प्रेक्षण :

उपर्युक्त प्रस्तावों पर विचार करने हेतु विशेषज्ञों की एक समिति का गठन करने के लिए कुलपति महोदय को अधिकृत किया। यह भी संस्तुति की कि जयपुर स्थित चिकित्सालयों, क्लिनिक, नर्सिंग होम, पैथोलॉजिकल एवं रेडियोलॉजिकल लैब्स को मान्यता दी जानी हो तो राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा मान्यता प्राप्त सूची प्राप्त कर उस पर भी विचार किया जाए।

संस्तुति सं.7 पर प्रेक्षण :

कुलसचिव के लिए कार के क्रय के प्रस्ताव को अस्वीकार किया, किन्तु, विश्वविद्यालय की आवश्यकताओं और वाहन की स्थितियों को देखते हुए विश्वविद्यालय के लिए एक नई एम्बेसैडर कार वर्ष 2008-09 में क्रय करने की स्वीकृति प्रदान की।

संस्तुति सं.8(2) पर प्रेक्षण :

म.द.स. विश्वविद्यालय यात्रा भत्ता नियम, 1997 में बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत संशोधन के प्रस्तावों को सिद्धान्ततः स्वीकार किया और कुलपति महोदय को अधिकृत किया कि वे इन संशोधनों की व्यावहारिकता का एक बार परीक्षण करा लें और यदि परीक्षण के आधार पर कुछ परिवर्तन अपेक्षित हों, तो उन्हें तद्नुसार समाविष्ट करके इन संशोधनों को प्रवृत्त करावें।

मद सं.11 दिनांक 16 मई, 2008 को सम्पन्न विद्या परिषद् की 36वीं वार्षिक बैठक के कार्यवृत्त पर विचार करना। **शैक्षणिक**

निर्णय **विद्या परिषद् के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया।**

मद सं.12 दिनांक 20 मई, 2008 को सम्पन्न भवन निर्माण समिति की बैठक के कार्यवृत्त पर विचार करना। **अभियंता कार्यालय**

निर्णय **भवन निर्माण समिति की उक्त बैठक के कार्यवृत के अनुमोदन किया एवं निर्णय किया कि इस कार्यवृत्त में प्रस्तावित प्रावधानों के अनुसार बजट को वित्त नियन्त्रक संशोधित करें और संशोधित प्रावधान जारी करें।**

मद सं.13 खेल मण्डल की उप समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 30.07.2007 की संस्तुतियों पर विचार कर निर्णय करना **(कार्यसूची का परिशिष्ठ - 23)** **खेलकूद बोर्ड**

निर्णय **सचिव, खेलकूद बोर्ड द्वारा प्रस्तुत म.द.स. विश्वविद्यालय खेलबोर्ड अजमेर के संविधान में वर्तनी की अशुद्धियों एवं तथ्यात्मक त्रुटियों के प्रति बोर्ड ने संज्ञान लेते हुए, प्रस्तुत संविधान पर इस विश्वविद्यालय के जिन अधिकारियों ने हस्ताक्षर किए हैं, उनसे स्पष्टीकरण माँगने एवं इस संविधान में से वर्तनी एवं तथ्यों की त्रुटियों को ठीक करने हेतु एक समिति का गठन करने के लिए माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया। बोर्ड ने संविधान में प्रस्तुत प्रावधानों को स्वीकार करने की संस्तुति की।**

मद सं. 14 fo'ofolky; ds ctV] foRr ,oa ys[kk fu;e 1997 ds fu;e 156 **विवले**

,oa fu;e 173 dks fuEukuqlkj la'kksf/kr fd, tkus ij fopkj djuk %

Rule 156: There shall be two purchase committees. For purchase of stores of the value of Rs.5001/- and upto Rs.50000/-. The Committee shall be called Purchase Sub Committee and for the purchase of stores of the value exceeding Rs.50000/-, the committee shall be called University Purchase Committee (UPC), both the committees would comprise of atleast three members. Out of them one would be Comptroller of the University in the case of UPC and his representative in the case of Purchase Sub Committee. The presence of the Comptroller in UPC meeting shall be compulsory, however, the presence of his representative in the case of Purchase Sub Committee meeting would be compulsory. Experts/Technical Officers may also be associated for the purchases involving machineries and equipments. Cases of limited and open tenders shall be placed in the meeting of purchases committees in a detailed agenda note. The recommendation of the Purchase Sub Committee and University Purchase Committee, shall be put up before the Registrar and the Vice Chancellor respectively for approval but the purchases shall be made by the University Purchase Committee itself. The proposal received for purchases of stores must be processed within seven days of the receipt of the proposals.

Rule 173: Quality inspection will be done by Inspection Committee constituted by the Vice Chancellor for the value of stores purchases exceeding Rs. 5000/-. The members of the committee will consist of members other than stores officer and the members of the purchase committee mentioned in Rule 156. However, necessary technical person may be associated in the committee, if necessary.

निर्णय **fu;e 156 ,oa 173 esa izLrkfor la'kks/kuksa dks fuEukuqlkj vuqeksfnr fd;k %**

Rule 156: There shall be two purchase committees. For purchase of stores of the value of Rs.5001/- and upto Rs.50000/-. The Committee shall be called Purchase Sub Committee and for the purchase of stores of the value exceeding Rs.50000/-, the committee shall be called University Purchase Committee (UPC), both the committees would comprise of atleast three members. Out of them one would be Comptroller of the University in the case of UPC and his representative in the case of Purchase Sub Committee. The presence of the Comptroller in UPC meeting shall be compulsory, however, the presence of his representative in the case of Purchase Sub Committee meeting would be compulsory. Experts/Technical Officers may also be associated for

the purchases involving machineries and equipments. Cases of limited and open tenders shall be placed in the meeting of purchases committees in a detailed agenda note. The recommendation of the Purchase Sub Committee and University Purchase Committee, shall be put up before the Registrar and the Vice Chancellor respectively for approval. The proposal received for purchases of stores must be processed within seven days of the receipt of the proposals.

Rule 173: Quality inspection will be done by Inspection Committee constituted by the Vice Chancellor for the value of stores purchases exceeding Rs. 5000/-. The members of the committee will consist of members other than stores officer and the members of the purchase committee mentioned in Rule 156. However, necessary technical person may be associated in the committee, if necessary.

मद सं. 15 प्रबन्ध बोर्ड की निर्णय संख्या 16(3) दिनांक 20.6.2006 द्वारा विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कार्मिकों हेतु प्रवृत्त चिकित्सा सुविधा योजना के लिए गठित बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ पर प्रबन्ध बोर्ड के एक सदस्य का मनोनयन करना **विवले**

निर्णय **प्रबन्ध बोर्ड के एक सदस्य का मनोनयन करने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।**

मद सं. 16 विश्वविद्यालय में विभिन्न प्रकार के संकायों के अन्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेश एवं पात्रता के विषयों, परिसर में छात्रावास में रहने वाले छात्र/छात्राओं के कल्याण के कार्यों, साँस्कृतिक और शैक्षणेत्तर गतिविधियों के आयोजन आदि का परिनिरीक्षण करने हेतु विश्वविद्यालय के शिक्षकों में से संकायाध्यक्ष छात्र कल्याण (क्मंद ैजनकमदजे ूमसतिम) नियुक्त किए जाने एवं उसकी शक्तियाँ और परिलब्धियाँ निर्धारित किए जाने पर विचार करना। **संस्थापन**

निर्णय **उक्त प्रयोजन हेतु डीन छात्र कल्याण की नियुक्ति करने के लिए कुलपति महोदय को अधिकृत किया जाता है एवं डीन छात्र कल्याण की शक्तियों, परिलब्धियों और कर्त्तव्यों को, जो राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में प्रवृत्त हैं, इस विश्वविद्यालय में भी प्रवृत्त किया जाता है।**

मद सं. 17 शोधोपाधि की मौखिक परीक्षा के लिये आमंत्रित विशेषज्ञ, महाविद्यालयों की सम्बद्धता के लिये निरीक्षण हेतु नियुक्त निरीक्षकों, विशिष्ट व्याख्यानकर्ताओं प्रबन्ध बोर्ड और विद्या-परिषद् के सदस्यों आदि द्वारा टैक्सी से यात्रा की अनुमति दिये जाने पर विचार एवं निम्नानुसार भुगतान की दरें निर्धारित करने पर विचार करनाः- **विवले**

(क) किराये पर ली गई 4 सीटर ए.सी. कार रूपये 4.90 प्रति किलोमीटर।

(ख) किराये पर ली गई 4 सीटर नॉन ए.सी. कार रूपये 4.20 प्रति किलोमीटर।

निर्णय **शोधोपाधि की मौखिक परीक्षा के लिए आमन्त्रित विशेषज्ञों, महाविद्यालयों की सम्बद्धता के लिए निरीक्षण हेतु नियुक्त निरीक्षकों, विशिष्ठ व्याख्यानकर्त्ताओं और**

विद्या परिषद् के सदस्यों द्वारा कुलपति महोदय से पूर्व अनुमति लेकर, यदि टैक्सी से यात्रा की जाती है तो उन्हें निम्नांकित दर से भुगतान देय होगा :

(क) किराये पर ली गई 4 सीटर ए.सी. कार रूपये 4.90 प्रति किलोमीटर।

(ख) किराये पर ली गई 4 सीटर नॉन ए.सी. कार रूपये 4.20 प्रति किलोमीटर।

(ग) प्रबन्ध बोर्ड के सदस्यों, शिक्षकों और अधिकारियों की नियुक्ति हेतु चयन समिति के सदस्यों द्वारा टैक्सी से यात्रा के सम्बन्ध में कुलपति महोदय को अधिकृत किया जाता है।

मद सं. 18 प्रबन्ध बोर्ड की निर्णय संख्या 16 दिनांक 8.5.2007 एवं 7.6.2007 के क्रम में राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23.7.2003 के शेष प्रावधानों को लागू किए जाने के सम्बन्ध में गठित समिति की निम्नांकित संस्तुति पर विचार करना : **संस्थापन**

(क) अधिसूचना के बिन्दु संख्या 10 के आधार पर नियम संख्या 32(12) की प्रथम दो पंक्तियों को निम्नानुसार संशोधित किया जाना प्रस्तावित है तथा नया प्रावधान (iii) जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

(12)The list of candidates selected by the departmental promotion committee under sub rule (10) above shall be sent to the appointing authority together with annual confidential report / annual performance appraisal reports and other service records of all the candidates included in the list and also of those not selected, if any. Such list shall be divided in two parts.

(iii) For the purpose of selection for promotion on the basis of merit, no person shall be selected, if he does not have 'Outstanding' or 'Very Good' record for atleast 2/3 years of the eligibility years preceding to the year for which the meeting of the committee is held.

निर्णय **प्रस्तावित नया प्रावधान नियम संख्या 32(12) में जोड़ दिया जाए।**

मद सं.19 महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 4-5 जनवरी, 2008 को सम्पन्न राज्य के समस्त विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के सम्मेलन के कार्यवृत के निम्नांकित बिन्दुओं पर विचार एवं निर्णय करना :- **शैक्षणिक**

<u>मद सं.1.1 –</u> Respective Divisional Commissioner to be made member in the Syndicate/BOM.

उपर्युक्त चर्चा के क्रम में विश्वविद्यालय के अधिनियम 21(3) व 21(4) के प्रावधानान्तर्गत परिनियम 7(1)(iii) में संभागीय आयुक्त, अजमेर को पदेन सचिव के रूप में जोड़े जाने का प्रस्ताव विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

''विश्वविद्यालय के अधिनियम की धारा 21(1)(3)** के प्रावधानान्तर्गत परिनियम 7(1)(III)- पदेन सदस्य, के अन्तर्गत निम्नांकित नया प्रावधान जोड़े जाने पर विचार करना एवं विद्यमान प्रावधान (ण) और (च) को क्रमशः (च) और (छ) लिखे जाने पर विचार करना।

''(.k) सम्भागीय आयुक्त, अजमेर''

"(e) Divisional Commissioner."

निर्णय **उक्त प्रस्तावित संशोधन करने की अनुशंषा की और इस अनुशंषा को विश्वविद्यालय के अधिनियम की धारा 21.(4) के अन्तर्गत कुलाधिपति महोदय के अनुमोदन हेतु प्रेषित करने का निर्णय किया।**

मद सं.20 महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 4-5 जनवरी, 2008 को सम्पन्न राज्य के समस्त विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के सम्मेलन के कार्यवृत के निम्नांकित बिन्दुओं पर विचार एवं निर्णय करना :- **शैक्षणिक**

मद सं.1.3 Official Members to attend the meeting on regular basis, in case of non attendance by non official member meeting on continuous basis, provision to be made for automatic termination of membership.

उपर्युक्त चर्चा के क्रम में विश्वविद्यालय के अधिनियम 21(3) व 21(4) के प्रावधानान्तर्गत परिनियम 7(2) में आवश्यक संशोधन करने हेतु प्रबंध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

''विश्वविद्यालय के अधिनियम की धारा 21(1);3द्ध के प्रावधानान्तर्गत परिनियम 7(2) को निम्नानुसार संशोधित किए जाने पर विचार करना :

''**परिनियम 7(2)** : बोर्ड का नामनिर्देशित या निर्वाचित सदस्य दो वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और द्वितीय उत्तरवर्ती अवधि के लिए नियुक्ति के लिए पात्र होगा। ऐसे व्यक्ति को पूर्व की दो वर्ष या, यथास्थिति, चार वर्ष की अवधि की समाप्ति के चार वर्ष पश्चात् ही पुनः नामनिर्देशित किया जा सकेगा। नाम निर्देशत या निर्वाचित सदस्य द्वारा बैठक में सतत् तीन बार अनुपस्थित रहने पर सदस्यता स्वमेव समाप्त हो जाएगी''

"**Statute 7(2)** : A nominated or elected member of the Board shall hold office for a term of two years and shall be eligible for appointment or a second successive term. Such a person may be nominated again only after 4 years of this expiry of this pervious term of two years or, as the case may be, four years. Non attendance of the meeting of the elected or nominated members for continuous three times would lead to automatic termination of the membership."

निर्णय **परिनियम 7(2) में निम्नानुसार संशोधन करने का निर्णय किया।**

''**परिनियम 7(2)** : बोर्ड का नामनिर्देशित या निर्वाचित सदस्य दो वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और द्वितीय उत्तरवर्ती अवधि के लिए नियुक्ति के लिए पात्र होगा। ऐसे व्यक्ति को पूर्व की दो वर्ष या, यथास्थिति, चार वर्ष की अवधि की समाप्ति के चार वर्ष पश्चात् ही पुनः नामनिर्देशित किया जा सकेगा। पदेन, नाम निर्देशत या निर्वाचित सदस्य द्वारा बैठक में सतत् तीन बार अनुपस्थित रहने पर सदस्यता स्वतः समाप्त

हो जाएगी''

"**Statute 7(2)** : A nominated or elected member of the Board shall hold office for a term of two years and shall be eligible for appointment or a second successive term. Such a person may be nominated again only after 4 years of this expiry of this pervious term of two years or, as the case may be, four years. Non attendance of the meeting by the ex-officio, the elected or the nominated members for continuous three times would lead to automatic termination of the membership."

मद सं. 21 माननीय कुलपति महोदय के निम्नांकित प्रतिवेदित आदेश का अभिलेखन एवं पुष्टि करनाः- **संस्थापन**

(16) प्रतिवेदन है कि, माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के कर्मचारियों के आश्रितों की अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के नियम संख्या 6(1) में शब्द **''चतुर्थ श्रेणी सेवाओं''** के बाद **''/सुरक्षा सेवाओं''** शब्द जोड़े जाने का परिवर्द्धन प्रबन्ध बोर्ड की पुष्टि के अध्यधीन तुरन्त प्रभाव से करते हुए कार्यालय आदेश क्र.एफ.1( )संस्था मदसविवि/2007/ 18640 दिनांक 1.9.2007 जारी किया गया।

निर्णय **पुष्टि की गई।**

मद सं. 22 प्रबन्ध बोर्ड की दिनांक 8 मई, 2007 एवं 7 जून, 2007 के कार्यवृत्त कर मद सं.14 के क्रम में एवं प्रमुख शासन सचिव (उच्च शिक्षा) के आदेश क्र.प.1(18) शिक्षा-4/2008 दिनांक 16.5.2008 जिसके माध्यम से विश्वविद्यालयों में एसोसिएट प्रोफेसर **(Reader)** एवं प्रोफेसर के वेतनमान 12000-18300 एवं 16400-22400 में रिक्त पदों पर की जाने वाली नियुक्तियों में स्थिर वेतन क्रमशः रू.27000/-प्रतिमाह एवं रू.37000 प्रतिमाह किया गया है, पर विचार कर निर्णय करना **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-27)** **संस्थापन**

निर्णय **कार्यसूची के परिशिष्ठ 27 के अनुसार वेतन दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की और निर्णय किया कि राज्य सरकार से यह निवेदन किया जाए कि सीधी भर्ती में नियुक्त सहायक आचार्यों के लिए भी न्यूनतम वेतन रू.7950 के स्थान पर नया वेतन निर्धारित करें।**

मद सं. 23 विश्वविद्यालय के पेंशन विनियमों में विनियम संख्या 29:(a) और 41:(a) में दिनांक 1.9.1996 एवं 1.7.2004 से राज्य सरकार के परिपत्रों के आधार पर प्रबन्ध बोर्ड की स्वीकृति के अनुरूप जारी किए गए आदेशों के अनुसार सम्बन्धित विनियम 29:(a) एवं 41:(a) में तद्नुसार संशोधन **कार्यसूची का परिशिष्ठ-26** के अनुसार करने पर विचार करना। **विवले**

निर्णय **कार्यसूची के परिशिष्ठ 26 के अनुसार प्रस्तावित संशोधनों को स्वीकार किया।**

मद सं. 24 आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्र.563 दि. 25.10.2007 के बिन्दु संख्या 3 में दिए गए प्रस्ताव कि ''व्याख्याताओं को कैरियर एडवांसमैण्ट योजना के अन्तर्गत पुनश्चर्या/उन्मुखीकरण कार्यक्रम/सेमीनार/ सम्मेलन/कार्यशाला **एकेडमिक स्टाफ कॉलेज**

आदि ग्रीष्मावकाश/दीपावली/शीतकालीन/परीक्षा पूर्व आदि अवकाश के दौरान कराए जाने चाहिए जिससे छात्रों के अध्ययन में बाधा उत्पन्न न हो।" प्रस्ताव के सम्बन्ध में निदेशक, एकेडेमिक स्टाफ कॉलेज द्वारा वस्तुस्थिति पर विचार करना। **(कार्यसूची का परिशिष्ट-28)**

निर्णय **निर्णय किया कि वर्तमान व्यवस्था जारी रखी जाए।**

मद सं. 25 विश्वविद्यालय के वित्त एवं लेखा नियमों के नियम संख्या 208(A) को निम्नानुसार संशोधित करने पर विचार करना : **अभियन्ता कार्यालय**

208 Building Committee

(A) There shall be a Building Committee consisting of the following :

1 The Vice Chancellor Chairman
2 One member of the Board of Management being teacher of the University Department nominated by the Vice Chancellor.
3 One representative of the Planning & Monitoring Board.
4 One senior technical expert nominated by the Vice Chancellor.
5 One member of U.I.T., Ajmer nominated by the Chairman, UIT, Ajmer
6 One Superintending Engineer from State P.W.D., Ajmer nominated by Addl. Chief Engineer, PWD, Ajmer
7 One Superintending Engineer of PHED, Ajmer nominated by Addl. Chief Engineer, PHED, Ajmer
8 One Superintending Engineer of Ajmer Vidyut Vitran Nigam Ltd., Ajmer nominated by the M.D. of AVVNL, Ajmer
9 Managing Director, R.S.R.D.C. or a representative nominated by him as the work is entrusted to them..
10 District Forest Officer, Ajmer
11 Resident Engineer, RSRDC, Ajmer
12 Architect, engaged by the University
13 Comptroller
14 Registrar, Member Secretary
15 Tehsildar, Ajmer
16 University Engineer

<u>वर्तमान प्रावधान</u>

208 Building Committee

(A) There shall be a Building Committee consisting of the following :

1 The Vice Chancellor Chairman

2 One member of the Board of Management being teacher of the University Department nominated by the Vice Chancellor.

3 One senior technical expert nominating by the Vice Chancellor.

4 One Superintending Engineer from State P.W.D.

5 One representative of the Planning & Monitoring Board.

6 Managing Director, R.S.R.D.C. or a representative nominated by him as the work is entrusted to them..

7 Registrar

8 Comptroller

9 Architect, engaged by the University

10 Resident Engineer, R.S.R.D.C., Unit Ajmer

11 University Engineer

निर्णय **उपर्युक्त संशोधनों को स्वीकृति प्रदान की।**

मद सं. 26

1. The existing provision of O.124.8(iv) may be amended, so as to read as follows :-

   (iv) Applications for registration shall be entertained twice a year during 1st January to 31st January and 1st July to 31st July. The applications received shall be placed by the Director, Research before the Subject Research Committee (SRC) for evaluation of the synopsis. The date of registration shall be the date of the approval of synopsis by the S.R.C.

2. The existing provision of O.124.9(ii) may be re-worded, so as to read as follows :-

   "The meetings of the SRC will be held time to time continuously through out the year."

3. The following sentence may be deleted from existing O.124.8(xi)

   "which would correspond to the date of registration fee."

4. The following sentence be inserted before the sentence "it would be notified that teachers and research scholars may attend the viva-voce examination at their own expenses" in O.124.11(iii) :

   "The Director, Research shall inform the Dean, Post Graduate Studies and the Dean of the faculty concerned about the date, time and place for conduct of the viva-voce examination."

'शोध

निर्णय **विश्वविद्यालय के अध्यादेश 124 में प्रस्तावित उपर्युक्त संशोधनों को स्वीकार**

किया।

बोर्ड ने सर्वसम्मति से यह संस्तुति की, कि विश्वविद्यालय के कुछ पद यथा- प्रबन्धक (अतिथि गृह), उद्यान पर्यवेक्षक, स्टेनोग्राफर, कनिष्ठ तकनीकी सहायक, हर्बेरियम असिस्टैण्ट के वेतन विसंगतियों सम्बन्धी प्रकरणों को राज्य सरकार के निर्णयार्थ प्रेषित कर दिया जाए।

अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई। बोर्ड की आगामी बैठक सितम्बर 2008 के दूसरे सप्ताह में होगी।

कुलपति कुलसचिव